



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 402]

नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 12, 2013/श्रावण 21, 1935

No. 402]

NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 12, 2013/SHRAVANA 21, 1935

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 अगस्त, 2013

सा.का.नि. 540(अ).—केन्द्रीय सरकार, विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28) की धारा 55 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए विशेष आर्थिक जोन नियम, 2006 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्तनाम विशेष आर्थिक जोन (संशोधन) नियम 2013 है।
- (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. विशेष आर्थिक जोन नियम, 2006 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल नियम कहा गया है) के नियम 2 के उपनियम (1) के खण्ड (X) में निम्नलिखित परन्तुक अंतः स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

परन्तु विभिन्न प्रवर्ग, जिनमें एक दूसरे के समान या अनुरूप उनके संबंधित उत्पाद और सेवाएं, जिनके अंतर्गत संबंधित आनुषंगिक सेवाएं और सेक्टर की अनुसंधान और विकास सेवाएं तथा बोर्ड द्वारा यथा अनुमोदित समान या अनुरूप प्रकृति के उत्पाद और सेवाओं का अतिरिक्त समुच्चय समाविष्ट है, एक एकल सेक्टर बनाएंगे।

किन्तु यह कि संबंधित अनुषंगी सेवाओं सहित एक-दूसरे के समान अथवा संगत अपने-अपने उत्पादों या सेवाओं को मिलाकर बनी विभिन्न श्रेणियां और उस सेक्टर की अनुसंधान एवं विकास सेवाएं तथा अनुमोदन बोर्ड द्वारा यथा अनुमोदित समान या संगत प्रकृति की सेवाएं एकल सेक्टर बनाएंगी।

3. मूल नियम के नियम 5 के, उपनियम (2) में -

- (i) खण्ड (क) में,-

(अ) 'एक हजार हैक्टेयर' शब्दों के स्थान पर 'पाँच सौ हैक्टेयर' शब्द रखे जाएंगे;

(आ) पहले परन्तुक में, 'दो सौ हैक्टेयर' शब्दों के स्थान पर 'एक सौ हैक्टेयर' शब्द रखे जाएंगे;

- (ii) खण्ड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रखे जाएंगे अर्थात् -

*(ख) (i) किसी विनिर्दिष्ट सेक्टर या एक या अधिक सेवाओं के लिए अथवा किसी पत्तन अथवा विमानपत्तन में विशेष आर्थिक जोन का पचास हेक्टेयर या उससे अधिक का एक समीपस्थ क्षेत्र होगा:

परन्तु प्रत्येक समीपस्थ पचास हेक्टेयर भूमि के लिए-

- (क) विशेष आर्थिक जोन में, या
- (ख) जिसे विशेष आर्थिक क्षेत्र में जोड़ा जाता है।
एक अतिरिक्त सेक्टर अनुज्ञात किया जा सकेगा:

परन्तु प्रथम परन्तुक के अनुसार किसी विनिर्दिष्ट क्षेत्र के लिए या एक या अधिक सेवाओं के लिए किसी विशेष आर्थिक जोन में किसी अतिरिक्त सेक्टर के लिए अपेक्षित अतिरिक्त भूमि पच्चीस हेक्टेयर होगी जब विशेष आर्थिक जोन असम, मेघालय, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर, गोवा या किसी संघ राज्य क्षेत्र में स्थापित किए जाने का प्रस्ताव हो।

(ii) सूचना प्रौद्योगिकी या सूचना प्रौद्योगिकी आधारित सेवा के लिए विशेष आर्थिक जोन की स्थापना के लिए कोई न्यूनतम क्षेत्र अपेक्षित नहीं होगा, किंतु शहरों की प्रवर्ग के आधार पर न्यूनतम निर्मित प्रसंस्करण क्षेत्र की अपेक्षा लागू होगी जो निम्नानुसार होगा:-

सारणी

अनुबंध IV क के अनुसार शहरों का प्रवर्ग	न्यूनतम अपेक्षित निर्मित क्षेत्र
प्रवर्ग 'क'	1,00,000 वर्ग मी.
प्रवर्ग 'ख'	50,000 वर्ग मी.
प्रवर्ग 'ग'	25,000 वर्ग मी.

परन्तु ऐसे किसी विशेष आर्थिक जोन के लिए जिसे अनन्य रूप से इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के लिए जिनके अंतर्गत, सूचना प्रौद्योगिकी आधारित सेवा भी है स्थापित करने का प्रस्ताव किया जाता है, दस हेक्टेयर या उससे अधिक और उक्त सारणी में निर्दिष्ट शहरों के प्रवर्ग के आधार पर सूचना प्रौद्योगिकी या सूचना प्रौद्योगिकी आधारित सेवाओं हेतु किसी विशेष आर्थिक क्षेत्र के लिए यथा लागू न्यूनतम निर्मित प्रसंस्करण क्षेत्र की अपेक्षा होगी।

परन्तु यह और कि यदि विशेष आर्थिक जोन अनन्य रूप से हस्तशिल्प क्षेत्र के लिए स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है तो क्षेत्र दस हेक्टेयर या उससे अधिक होगा:

परन्तु यह भी कि यदि विशेष आर्थिक जोन का अन्यन्य रूप से जैव-प्रौद्योगिकी, गैर परम्परागत ऊर्जा जिसके अंतर्गत, सौर ऊर्जा उपस्कर या सेल भी है अथवा रत्न एवं आभूषण क्षेत्र, कृषि आधारित खाद्य प्रसंस्करण के लिए स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है तो क्षेत्र दस हेक्टेयर या उससे अधिक होगा और उसमें निम्नलिखित न्यूनतम निर्मित क्षेत्र इस प्रकार होगा:-

(i) अनन्य रूप से जैव प्रौद्योगिकी और गैर परम्परागत ऊर्जा क्षेत्र जिसके अंतर्गत ऊर्जा उपस्कर या सेल भी है, और कृषि आधारित खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए विशेष आर्थिक जोन स्थापित किए जाने का प्रस्ताव हो तो चालीस हजार वर्ग मीटर होगा किंतु इसमें गैर-परम्परागत ऊर्जा उत्पादन तथा विनिर्माण के लिए विशेष आर्थिक जोन सम्मिलित नहीं होगा।

(ii) रत्न एवं आभूषण क्षेत्र के लिए अनन्य रूप से स्थापित किए जाने के लिए प्रस्तावित किसी विशेष आर्थिक जोन के मामले में पचास हजार वर्ग मी. है :

परन्तु यह भी कि यदि किसी विनिर्दिष्ट क्षेत्र के लिए कोई विशेष आर्थिक जोन असम, मेघालय, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, जम्मू कश्मीर, गोवा या किसी संघ राज्यक्षेत्र में स्थापित किए जाने का प्रस्ताव हो तो पहले, दूसरे और तीसरे परन्तुक में न आने वाले विशेष आर्थिक जोनों के लिए क्षेत्र पच्चीस हेक्टेयर या उससे अधिक होगा।

परन्तु यह भी कि उपबन्ध 4 में उपबन्धित वर्गीकरण के अनुसार शहरों में उपलब्ध विशेष आर्थिक जोनों (सूचना प्रौद्योगिकी या सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवा विशेष आर्थिक क्षेत्र के अलावा) के संबंध में न्यूनतम निर्मित क्षेत्र ऊपर विनिर्दिष्ट क्षेत्र का 50% होगा और उपबन्ध 4 में यथा उपदर्शित बी 2 श्रेणी के शहरों में अवस्थित आर्थिक जोनों के संबंध में न्यूनतम निर्मित क्षेत्र ऊपर विनिर्दिष्ट क्षेत्र का पच्चीस प्रतिशत होगा:

परन्तु यह भी कि जहां न्यूनतम अपेक्षित भू-क्षेत्र दस हेक्टेयर हो वहां अनुमोदन बोर्ड द्वारा उस प्रवर्ग में अतिरिक्त सेक्टरों की अनुज्ञा दी जा सकती है:

परन्तु यह भी कि ऐसे क्षेत्र के कम से कम पचास प्रतिशत क्षेत्र विकास प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए निश्चित किया जाएगा :

(iii) खण्ड (ग) में "एक हजार" शब्दों के स्थान पर "पाँच सौ" शब्द रखे जाएंगे।

4. मूल नियम के नियम 11 के उपनियम (11) में द्वितीय परन्तुक के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक अंतःस्थापित किया जाएगा अर्थात्-

परन्तु यह भी कि विद्यमान विशेष आर्थिक जोन में यदि किसी ऐसी भूमि का समावेशन या संवर्धन हो, जहाँ ऐसी भूमि में कोई ऐसा पत्तन, विनिर्माण इकाई अथवा संरचना अंतर्विष्ट हो, जिसमें कोई वाणिज्यिक, औद्योगिक अथवा आर्थिक गतिविधि न चल रही हो तो ऐसे विशेष आर्थिक जोन में पहले से विद्यमान संरचना के संबंध में किसी प्रकार के शुल्क के फायदे के पात्र नहीं होंगे लेकिन ऐसे विशेष आर्थिक जोनों में समावेशन या संवर्धन के पश्चात् विद्यमान पत्तनों, विनिर्माण इकाइयों अथवा संरचनाओं में किया गया कोई संवर्धन अथवा उन्नयन के ऐसे वित्तीय प्रोत्साहन की पात्र होंगी जो किसी विशेष आर्थिक जोन में किसी नई अवसंरचना पर लागू होती हैं और ऐसी अवसंरचना में किए जा रहे प्राधिकृत प्रचालन भी विशेष आर्थिक जोन अधिनियम तथा नियमों के अधीन यथा उपबंधित फायदों के लिए पात्र होंगे।

5. मूल नियम के नियम 19 के उपनियम (2) के तीसरे परन्तुक में, "परन्तु यह भी कि", शब्दों के स्थान पर "परन्तु यह भी कि नियम 74क के उपबंधों के अधधीन" शब्द रखे जाएंगे।

6. मूल नियम के नियम 74 के पश्चात्, निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्-

"74क विशेष आर्थिक जोन इकाइयों द्वारा उनके अस्तित्व में आने पर आस्तियों का अंतरण कोई इकाई, विशेष आर्थिक जोन की इकाइयों की बिक्री सहित अपनी अपनी आस्तियों तथा दायित्वों का किसी अन्य व्यक्ति को आबंटन करके निम्नलिखित शर्तों के अधधीन विशेष आर्थिक जोन से अलग होने का विकल्प अपना सकती है।

(i) इकाई के पास अंतरण की तारीख को कम से कम पांच वर्ष की अवधि के लिए एक वैध अनुमोदन पत्र तथा भूमि का पट्टा हो;

(ii) इकाई अंतरण की तारीख को उत्पादन शुरू होने के पश्चात् न्यूनतम दो वर्षों की अवधि के लिए क्रियाशील रही हो;

(iii) इस प्रकार का विक्रय अथवा अंतरण की कार्यवाही अनुमोदन समिति के अनुमोदन के अधधीन होगी;

(iv) अंतरिती, इकाई को लागू पात्रता संबंधी सभी मानदण्डों को पूर्ण करता हो; तथा

(v) नियम 74 के अधीन यथा परिकलित लागू शुल्क एवं दायित्व, यदि कोई हों, तथा अंतरणकर्ता इकाई के निर्यात बाध्यताएं यदि कोई हों, अंतरिती इकाई को अंतरित माने जाएंगे, जो अंतरणकर्ता इकाई के समान ही वैसी ही शर्तों एवं निबंधनों के अनुरूप समान दायित्वों के निर्वहन हेतु बाध्य होगा।"

7. मूल नियम में, उपबंध IV के पश्चात् निम्नलिखित उपबंध अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

उपबंध 4 क

[नियम 5 का उप-नियम 2 (ख क) देखें]

शहरों का वर्गीकरण

	शहरों का वर्गीकरण
	श्रेणी 'क'
1	ग्रेटर मुम्बई
2	दिल्ली एनसीआर
3	कोलकाता
4	चेन्नई
5	बैंगलूरु
6	हैदराबाद
7	पुणे
	श्रेणी 'ख'
1	अहमदाबाद
2	भुवनेश्वर
3	चंडीगढ़
4	कोयम्बटूर
5	इन्दौर
6	जयपुर
7	कोच्ची
8	लखनऊ
9	मदुरई
10	मंगलौर
11	नागपुर
12	तिरुवनन्तपुरम
13	त्रिविरापल्ली
14	वडोदरा
15	विशाखापत्तनम
	श्रेणी 'ग'
	सभी अन्य शहर

[फा. सं. सी-2/1/2013-सेज]

राजीव अरोड़ा, संयुक्त सचिव

टिप्पणी:-मूल नियम तारीख 10 फरवरी, 2006 के सा.का.नि. (54)(अ) के द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किए गए थे और उनमें तारीख 16 दिसम्बर, 2010 के सा.का.नि.सं 982(अ) द्वारा अन्तिम बार संशोधन किया गया था।

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**(Department of Commerce)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 12th August, 2013

G.S.R. 540(E).—In exercise of the powers conferred by Section 55 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Special Economic Zones Rules, 2006, namely :—

1. (1) These rules may be called the Special Economic Zones (Amendment) Rules, 2013.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Special Economic Zones Rules, 2006 (herein after referred to as the principal rules), in rule 2, in sub-rule (1), in clause (x), the following proviso shall be inserted, namely:—

“Provided that various categories comprising their respective products or services, similar or compatible with each other, including related ancillary services and Research and Development services of the sector and additional combination of products and services of a similar or compatible nature as approved by the Board of Approval shall constitute a single sector;”

3. In rule 5 of principal rules, in sub-rule (2),—

(i) in clause (a),—

(A) for the words “one thousand hectares”, the words “five hundred hectares” shall be substituted;

(B) in the first proviso, for the words “two hundred hectares”, the words “one hundred hectares” shall be substituted;

(ii) for clause (b), the following clause shall be substituted, namely:—

“(b)(i) A Special Economic Zone for a specific sector or for one or more services or in a port or airport, shall have a contiguous area of fifty hectares or more:

Provided that for each contiguous fifty hectare land,—

(A) in a Special Economic Zone; or

(B) which is added to the Special Economic Zone,
an additional sector may be allowed:

Provided that the additional land requirement for an additional sector in a Special Economic Zone for a specific sector or for one or more services as per first proviso will be twenty five hectares when the Special Economic Zone is proposed to be set up in Assam, Meghalaya, Nagaland, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Tripura, Himachal Pradesh, Uttarakhand, Sikkim, Jammu and Kashmir, Goa or in a Union territory.

(ii) There shall be no minimum area requirement for setting up a Special Economic Zone for Information Technology or Information Technology Enabled Services, but a minimum built up processing area requirement shall be applicable, based on the category of cities, as follows:—

TABLE

Category of cities as per Annexure IVA	Minimum built up area requirement
Category 'A'	1,00,000 sq mts
Category 'B'	50,000 sq mts
Category 'C'	25,000 sq mts

Provided that for a Special Economic Zone proposed to be set up exclusively for electronics hardware and software (including information technology enabled services) the area shall be ten hectares or more as well as a minimum built up processing area requirement as applicable for a Special Economic Zone for Information Technology or Information Technology Enabled Services, based on the category of cities, referred to in the Table:

Provided further that in case a Special Economic Zone is proposed to be set up exclusively for handicrafts, the area shall be ten hectares or more:

Provided also that in case a Special Economic Zone is proposed to be set up exclusively for bio-technology, non-conventional energy, including solar energy equipments or cell, or gems and jewellery sectors, agro-based food processing, the area shall be ten hectares or more with a minimum built up area as under:

(i) forty thousand square meters in case of a Special Economic Zone proposed to be set up exclusively for bio-technology and non-conventional energy sectors, including solar energy equipments or cells and agro-based food processing sector but excluding a Special Economic Zone set up for non-conventional energy production and manufacturing;

(ii) fifty thousand square meters in case of a Special Economic Zone proposed to be set up exclusively for the gems and jewellery sector:

Provided also that in case a Special Economic Zone for a specific sector is proposed to be set up in Assam, Meghalaya, Nagaland, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Tripura, Himachal Pradesh, Uttarakhand, Sikkim, Jammu and Kashmir, Goa or in a Union territory, the area shall be twenty five hectares or more for the Special Economic Zones not covered under the first, second and third provisos:

Provided also that in respect of Special Economic Zones (other than Information Technology or Information Technology Enabled Services Special Economic Zones) located in B1 category cities as per classification indicated in Annexure-IV, the minimum built up area shall be fifty per cent of the area specified above and in respect of Special Economic Zones located in B2 category cities as indicated in Annexure IV, the minimum built up area shall be twenty five per cent of such area specified above:

Provided also that Board of Approval may allow additional sectors in the category where the minimum land area requirement is ten hectares:

Provided also that not less than fifty per cent of such area shall be earmarked for developing processing area.

(iii) in clause (c), for the words "one thousand" the words "five hundred" shall be substituted.

4. In rule 11 of the principal rules, in sub-rule (11), after second proviso, the following proviso shall be inserted, namely:-

"Provided also that addition or inclusion of any land to an existing Special Economic Zone, where such land contains a port, manufacturing unit, or structures in which no commercial, industrial or economic activity is in progress, then such Special Economic Zone shall not be eligible for any duty benefits in respect of the pre-existing structures but any additions or up-gradations to such existing ports, manufacturing units, or structures after their addition or inclusion in a Special Economic Zone shall be eligible for the fiscal incentives as applicable for a new infrastructure in a Special Economic Zone and also the authorised operations being carried on in such infrastructure shall be eligible for benefits as provided for under the Special Economic Zone Act and rules."

5. In rule 19 of principal rules, in sub-rule (2), in the third proviso, for the words, "provided also that", the words "provided also that, subject to the provisions of rule 74A," shall be substituted.

6. After rule 74 of principal rules, , the following rule shall be inserted, namely:—

“74A. Transfer of Assets by Special Economic Zone Units upon their exit.— The Unit may opt out of Special Economic Zone by transferring its assets and liabilities to another person by way of transfer of ownership including sale of Special Economic Zone units subject to the following conditions:—

- (i) the Unit has held a valid Letter of Approval as well as lease of land for not less than a period of five years on the date of transfer;
- (ii) the unit has been operational for a minimum period of two years after the commencement of production as on the date of transfer ;
- (iii) such sale or transfer transactions shall be subject to the approval of the Approval Committee;
- (iv) the transferee fulfils all eligibility criteria applicable to a Unit; and
- (v) the applicable duties and liabilities, if any, as calculated under rule 74, as well as export obligations of the transferor Unit, if any, shall stand transferred to the transferee Unit which shall be under obligation to discharge the same on the same terms and conditions as the transferor Unit.”.

7. In the principal rules, after Annexure IV, the following Annexure shall be inserted, namely:—

“ANNEXURE IVA

[Refer sub-rule 2 (ba) of rule 5]

CLASSIFICATION OF CITIES

	City classification
	Category ‘A’
1	Greater Mumbai
2	Delhi NCR
3	Kolkata
4	Chennai
5	Bengaluru
6	Hyderabad
7	Pune
	Category ‘B’
1	Ahmedabad
2	Bhubaneswar

3	Chandigarh
4	Coimbatore
5	Indore
6	Jaipur
7	Kochi
8	Lucknow
9	Madurai
10	Mangalore
11	Nagpur
12	Thiruvananthapuram
13	Tiruchirappali
14	Vadodara
15	Visakhapatnam
	Category 'C'
	All other cities

[F. No. C.2/1/2013-SEZ]

RAJEEV ARORA, Jt. Secy.

Note:— The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary *vide* number G.S.R. 54 (E), dated the 10th February, 2006 and last amended *vide* G.S.R. 982 (E) dated the 16th December, 2010.